<u>न्यायालयः मधुसूदन जंघेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर,</u> <u>जिला-बालाघाट (म०प्र०)</u>

दाण्डिक प्र0क0—1193/2015 संस्थित दिनांक—07.12.2015 F.N.-234503013872015

म०प्र० राज्य द्वारा थाना प्रभारी आरक्षी केन्द्र—बैहर, जिला—बालाघाट (म०प्र०)अभियोजन

!!विरूद्ध!!

- 01. बसंत कुमार पिता तारासिंह, उम्र 36 वर्ष, निवासी केवलारी दतलाटोला, थाना बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0) आरोपी
- 02. यशवंत पिता प्रेमिसंह पन्द्रे, उम्र 30 वर्ष, निवासी केवलारी, थाना बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0) निर्णि
- 73. सुनील कुमार पिता केशरिसंह पन्द्रे, उम्र 25 वर्ष, निवासी केवलारी, थाना बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0) निर्णित
- 04. दुरपसिह पिता यशवंत धुर्वे, उम्र 32 साल, निवासी खोलवा, थाना बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0) निर्णित
- 05. जय कनौजिया पिता रमेश कनौजिया, निवासी शीतला माता मंदिर कमलेश किराना न्यू चंगेराभाटा, रायपुर, छत्तीसगढ़
 फौत

<u>!! निर्णय 🏴</u>

(दिनांक 27 / 04 / 2018 को घोषित किया गया)

01:— उपरोक्त नामांकित आरोपी बसंत पर दिनांक 03/11/2015 को समय 20:00 बजे या उसके लगभग आरक्षी केन्द्र बैहर अंतर्गत साहू बाबू के खेत के सामने मलाजखण्ड मेन रोड के लोकमार्ग पर वाहन कमांक—सी.जी. 04डी.एन.4739 को उपेक्षा व उतावलेपन पूर्वक चलाकर मानव जीवन को संकटापन्न कारित करने, उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को बगैर

चालन अनुज्ञापत्र के चलाने, उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को बगैर बीमा के चालन कारित करने, उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को अंतरक होते हुए रिजस्ट्रीकर्ता अधिकारी को अंतरण की सूचना न देने, इस प्रकार आरोपी बसंत पर धारा 279 भाठदंठविठ एवं 3/181, 146/196, 50(1)क/177 मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित करने का आरोप है।

- 02:— प्रकरण में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि दिनांक 26/04/2018 को आरोपीगण एवं फरियादी के मध्य राजीनामा हो जाने से आरोपी बसंत को धारा 337 भा0दं0वि0 के आरोप से दोषमुक्त किया गया, किंतु धारा 279 भा0दं0वि0 एवं 3/181, 146/196, 50(1)क/177 मो.व्ही.एक्ट में राजीनामा योग्य न होने से उक्त धारा में विचारण किया गया।
- 03:— अभियोजन का मामला संक्षेप में इस आशय का है कि घटना दिनांक दिनांक 03/11/2015 को समय 20:00 बजे या उसके लगभग आरक्षी केन्द्र बैहर अंतर्गत साहू बाबू के खेत के सामने मलाजखण्ड मेन रोड के लोकमार्ग पर वाहन कमांक—सी.जी.04डी.एन.4739 को आरोपी तेजी व लापरवाही से चलाते हुए जा रहा था तथा फरियादी राजेन्द्र की साईकिल को टक्कर मार दिया। जिससे राजेन्द्र के सीने, पैर व दांत में चोट आयी। घटना के उपरांत आहत राजेन्द्र बैहर अस्पताल में ईलाज कराने गया, दुर्घटना की तहरीर चिकित्सक द्वारा थाना बैहर को प्रेषित किया गया। जांच उपरान्त थाना के प्रथम सूचना रिपोर्ट अप०कं0—164/15 धारा 279, 337 मा.दं.वि. एवं 184, 3/181, 146/196, 50(1)क/177 मो.व्ही.एक्ट का पंजीबद्व कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये। घटना स्थल का मौका नक्शा बनाया गया। प्रकरण में जप्तशुदा वाहन का मैकेनिकल परीक्षण कराया गया। आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया एवं आवश्यक अन्वेषण उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
- 04:— आरोपी के विरूद्ध प्रकरण में कोई विपरीत साक्ष्य न होने से आरोपी का अभियुक्त परीक्षण नहीं किया गया। आरोपी ने अपने अभिवाक् में आरोपित अपराध करना अस्वीकार किया है।

05:- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित प्रश्न विचारणीय हैं:-

- 01. क्या आरोपी बसंत ने दिनांक 03/11/2015 को समय 20:00 बजे या उसके लगभग आरक्षी केन्द्र बैहर अंतर्गत साहू बाबू के खेत के सामने मलाजखण्ड मेन रोड के लोकमार्ग पर वाहन कमांक—सी.जी.04डी.एन.4739 को उपेक्षा व उतावलेपन पूर्वक चलाकर मानव जीवन को संकटापन्न कारित किया ?
- 02. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को बगैर चालन अनुज्ञापत्र के चालन कारित किया ?
- 03. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को बगैर बीमा के चालन कारित किया ?
- 04. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को अंतरक होते हुए रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी को अंतरण की सूचना नहीं दिया ?

!! निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण !!

विचारणीय प्रश्न कमांक :- 01

06:— राजेन्द्र मरकाम (अ.सा.—01) ने बताया है कि वह आरोपी बसंत को जानता है। घटना लगभग 03 वर्ष पूर्व रात 08 बजे की है। वह धान कुटाने के लिये ग्राम कोहका गया था। वह साईकिल को लेकर पैदल चलते हुये जा रहा था, उसी समय घटना हुयी थी। गिरने से उसे चोट आयी थी। उसका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर में ईलाज हुआ था। घटना के समय आरोपी अपने मोटरसायिकल से जा रहा था। दुर्घटना कैसे हुयी उसे जानकारी नहीं है। पुलिस ने घटना के संबंध में उसका बयान लेखबद्ध किया था। साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर उसने इंकार किया है कि आरोपी अपने मोटरसायिकल कमांक सी. जी.04डीएन4739 को तेजी व लापरवाही से चलाकर उसे टक्कर मार दी थी। इससे भी इंकार किया है कि उसने पुलिस को अपने कथन प्रपी—01 में आरोपी द्वारा तेजी व लापरवाही से मोटरसायिकल चलाकर दुर्घटना करने के बारे में बताया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आरोपी से उसका राजीनामा हो गया है किन्तु इससे इंकार किया है कि राजीनामा होने के कारण वह सही बात नहीं बता

रहा है। प्रतिपरीक्षण में भी साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि दुर्घटना कैसे हुयी उसे जानकारी नहीं है। इस प्रकार स्वयं आहत राजेन्द्र मरकाम ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है। स्वयं आहत राजेन्द्र मरकाम द्वारा मामले का समर्थन नहीं करने एवं राजीनामा हो जाने के कारण अभियोजन ने अपने शेष साक्षियों का परीक्षण नहीं कराया है एवं साक्षी राजेन्द्र के कथन से आरोपी द्वारा लोकमार्ग पर उपेक्षा व उतावलेपन से वाहन चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित करने की घटना प्रमाणित नहीं होता है।

विचारणीय प्रश्न कमांक :- 02 से 04

07:— आरोपी पर दिनांक 03/11/2015 को थाना बैहर के अप0क0—164/15 धारा 279, 337 भा.दं.वि. में वाहन को बगैर चालन अनुज्ञापत्र के चलाने, उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को बगैर बीमा के चालन कारित करने, उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को अंतरक होते हुए रिजस्ट्रीकर्ता अधिकारी को अंतरण की सूचना न देने का भी आरोप है। बचाव के दौरान या विचारण के दौरान आरोपी द्वारा घटना के समय स्वयं के प्राप्त वाहन चलाने का लायसेंस, बीमा का दस्तावेज रहा हो ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है। आरोपी ने वाहन अंतरण की सूचना रिजस्ट्री अधिकारी को दिया हो ऐसा कोई दस्तावेज भी पेश नहीं किया है।

08:— भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अनुसार जबिक कोई तथ्य विशेषतः किसी व्यक्ति के ज्ञान में है, तब उस तथ्य को साबित करने का भार ऐसे व्यक्ति पर होता है। यदि आरोपी के पास वाहन चलाने का लायसेंस, बीमा व अंतरण की सूचना देने का दस्तावेज होता तो इस विशेष तथ्य का ज्ञान आरोपी को ही होता, किंतु आरोपी द्वारा वाहन चलाने का लायसेंस, बीमा, अंतरण की सूचना से सबंधित कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है, ना ही बचाव के दौरान आरोपी ने कथित घटना दिनांक के समय का वाहन चलाने का लायसेंस, बीमा व अंतरण की सूचना संबंधित दस्तावेज पेश किया है। जिससे आरोपी बसंत के द्वारा बगैर लायसेंस, बीमा के वाहन चलाने एवं वाहन अंतरण की सूचना

रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी को न देने का तथ्य प्रमाणित होता है।

09:— उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर है कि अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी बसंत ने दिनांक दिनांक 03/11/2015 को समय 20:00 बजे या उसके लगभग आरक्षी केन्द्र बैहर अंतर्गत साहू बाबू के खेत के सामने मलाजखण्ड मेन रोड के लोकमार्ग पर वाहन कमांक—सी.जी.04डी.एन.4739 को उपेक्षा व उतावलेपन पूर्वक चलाकर मानव जीवन को संकटापन्न कारित किया। फलतः आरोपी बसंत को धारा 279 भा.दं.वि. के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अभियोजन यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि आरोपी बसंत ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को बगैर चालन अनुज्ञापत्र व बीमा के चालन किया एवं वाहन अंतरण की सूचना रिजस्ट्रीकर्ता अधिकारी को नहीं दिया। फलतः आरोपी बसंत को धारा 3/181, 146/196, 50(1)क/177 मोटर यान अधिनयम के आरोप में सिद्धदोष पाया जाकर दोषसिद्ध उहराया जाता है। फलतः अपराध की प्रकृति एवं उक्त परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी को निम्नलिखित दंण्ड से दिण्डत किया जाता है।

क.	नाम आरोपीगण	धारा	जेल की सजा	अर्थदण्ड	व्यतिकम में
				80,0	सजा (
01.	बसंत पिता तारासिंह	3/181	न्यायालय अवधि	500 / —रुपये	15 दिवस
	धुर्वे, उम्र 36 वर्ष,	मोटर यान अधिनियम	अवसान कारावास	y The co	साधारण कारावास
		146 / 196		500 / -रुपये	15 दिवस
		मोटर यान अधिनियम	अवसान कारावास	2	साधारण कारावास
		50 (1)क	न्यायालय अवधि	100 / -रुपये	15 दिवस
		_ / 177	अवसान कारावास		साधारण कारावास
		मोटर यान अधिनियम	3		

10:— आरोपी के बंधपत्र एवं प्रतिभूति पत्र निरस्त किया जाता है। आरोपी जमानत पर है।

R.C.T.No-1193/15, Page No. (6)

11:— आरोपी जिस कालाविध के लिए जेल में रहा हो उस विषय में एक विवरण धारा 428 दं.प्र.सं. के अंतर्गत बनाया जावे जो निर्णय का भाग होगा। निरोध की अविध मूल कारावास की सजा में मात्र मुजरा हो सकेगी। आरोपीगण का पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा की अविध निरंक है।

12:- प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति वाहन मोटर सायकल कमांक-सी.जी.04डीएन4739 को उसके पंजीकृत वाहन स्वामी को लौटाया जावें।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

" मेरे निर्देश पर टंकित "

(मधुसूदन जंघेल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला–बालाघाट (म.प्र.)

(मधुसूदन जंघेल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला–बालाघाट (म.प्र.)

